न्यायालय :- जिला न्यायाधीश, धौलपुर

मूर्ति श्री रामचन्द्र जी बनाम मीना देवी

मूल वाद सं. 30/12

दिनांक 17.02.2026

दोनों तरफ के अधिवक्तागण उपस्थित । अधिवक्ता वादी के द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज जो कि न्यायालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपियां है को रिकॉर्ड पर लिया जाए । अधिवक्ता प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश कर कथन किया कि उक्त प्रार्थना-पत्र देरी से पेश किया गया है और उन दस्तावेजों की इस प्रकरण में कोई आवश्यकता नहीं है और निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाए ।

दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र तथा जवाब प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया एवं जो दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया गया है का भी अवलोकन किया गया । उक्त दस्तावेज न्यायालय से संबंधित प्रमाणित प्रतिलिपियां है व अभी साक्ष्य में चल रहे प्रकरण से संबंधित प्रमाणित प्रतिलिपियां है व अभी साक्ष्य प्रतिवादी के गवाहों के बयान लेखबद्ध होना है । ऐसी सूरत में उक्त दस्तावेजों को न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिया जाता है और आदेश 7 नियम 14 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है ।

प्रतिवादी के गवाह न्यायालय में उपस्थित, लेकिन अधिवक्ता प्रतिवादी किसी अन्य प्रकरण में अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण बयान कराने में असमर्थ है । अधिवक्ता वादी को समय देने में कोई आपत्ति नहीं है । अधिवक्ता प्रतिवादी अगली तारीख को हर सूरत में साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह के बयान हेतु उपस्थित रहे। पत्रावली साक्ष्य वादी में दिनांक 23.02.2026 को पेश हो ।

प्रतिवादी

17/2/26

जिला न्यायाधीश
धौलपुर (राज0)